कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक 974/148/आउशि/शा–5 'अ'/2022, भोपाल दिनांकः 18/07/2022

प्रति,

1. सचिव, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल.
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश.
3. समस्त कुलसचिव, शासकीय/अशासकीय विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश.
4. समस्त प्राचार्य, शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश.

विषयः– " हर घर तिरंगा" अभियान का कियान्वयन।

संदर्भः–मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कमांक 999/731482/2022/38–2, दिनांक 12/07/2022.

—00—

कृपया मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग मंत्रालय के पत्र दिनांक 1 जुलाई, 2022 एवं कार्यकम के आयोजन के सम्बंध में संलग्नकों का अवलोकन करें।

उक्त पत्र में भारत सरकार द्वारा 11 से 17 अगस्त की अवधि में "हर घर तिरंगा" अभियान के कियान्वयन हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान का मुख्य उद्‌देश्य देशवासियों को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए प्रेरित करना, जनसामान्य में देशवासियों की भावना जागृत करना तथा राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है।

अतः कृपया संस्कृति विभाग मंत्रालय के पत्र के साथ संलग्न पी.पी.टी. का अवलोकन कर अभियान का समुचित प्रचार–प्रसार कर "हर घर तिरंगा" अभियान के कियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

(दीपक सिंह)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 975/148/आउशि/शा–5'अ'/2022 भोपाल दिनांकः 18/07/2022

प्रतिलिपिः

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. वि.क.अ. आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।

..............की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
संस्कृति विभाग
मंत्रालय

R-731482/22/38-2
11-7-22

क्रमांक 110/58/155/2022/तीस

भोपाल, दिनांक 1 / 7 /2022

प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल।

विषय:- "हर घर तिरंगा" अभियान का क्रियान्वयन।
संदर्भ:- इस विभाग का पत्र क्रमांक 804-805/155/तीस/2022 दिनांक 27.06.2022

....0000....

भारत सरकार द्वारा 11 से 17 अगस्त की अवधि में "हर घर तिरंगा" अभियान के क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देशवासियों को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए प्रेरित करना, जनसामान्य में देशभक्ति की भावना जागृत करना तथा राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है।

इसी अनुक्रम में "हर घर तिरंगा" अभियान के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव महो. के प्रतिकक्ष में दिनांक 27.06.2022 को सम्पन्न बैठक में दिए गए प्रस्तुतिकरण अनुसार उच्च शिक्षा विभाग के लिए कार्यवाही के बिन्दु निम्नानुसार है :-

1. प्राचार्यों एवं शिक्षकों के नेतृत्व में तिरंगे के संबंध में जागरुकता कार्यक्रम।
2. तिरंगे पर केन्द्रित विशेष असेम्बली का आयोजन।
3. सोशल मीडिया के माध्यम से "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार।
4. सभी अभिभावकों को उक्त अभियान में सहभागिता हेतु विशेष संदेश तथा लीफलेट भेजा जाना।
5. "हर घर तिरंगा" अभियान के बारे में अभिभावकों की बैठक में जानकारी उपलब्ध कराना।
6. युवाओं एवं बच्चों को रंग करने हेतु कट आउट्स एवं प्रिंट आउट उपलब्ध करवाये जाना

उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न प्रेषित है। कृपया, उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार,

(शिव शेखर शुक्ला)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग

क्रमांक 111/58 /155/2022/तीस

भोपाल, दिनांक 1 /07/2022

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल,
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ।

JUL 2022

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत
“स्वतंत्रता सप्ताह”
11-17 अगस्त 2022

हर घर तिरंगा

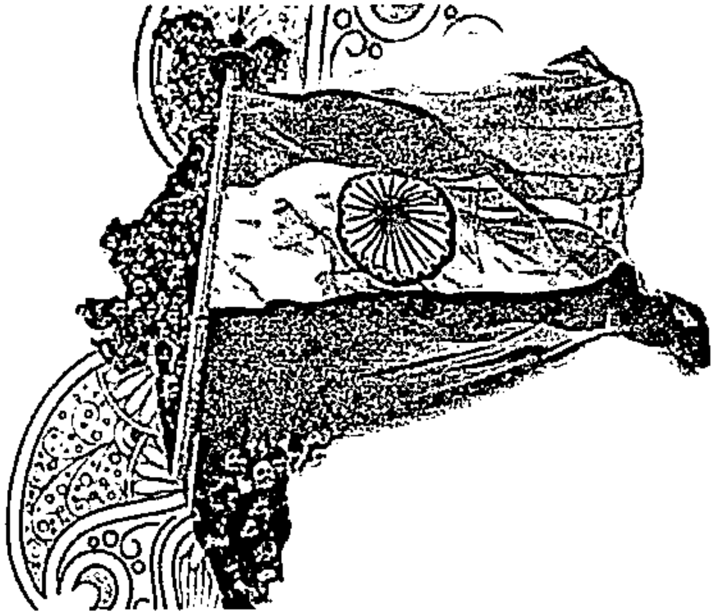

स्वराज संचालनालय, संस्कृति विभाग
मध्यप्रदेश शासन

मध्य प्रदेश – एक दृष्टि

आज़ादी का अमृत महोत्सव

मध्य प्रदेश की कुल अनुमानित जनसंख्या	8.50 करोड़
मध्य प्रदेश में अनुमानित आवासों की संख्या	1.70 करोड़
जिला पंचायत	51
ग्राम पंचायतों की संख्या	22710
नगर पालिका/नगर परिषद	391
प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	107497
आंगनबाड़ी / ANM सेंटर	97203
समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय	1340

"हर घर तिरंगा" कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु कार्ययोजना

आज़ादी का अमृत महोत्सव

•प्रत्येक सरकारी अधिकारी/कर्मचारी, शिक्षकगण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न नागरिक संगठनों का सहयोग।

•ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित विभाग द्वारा जागरूकता सत्र का आयोजन करते हुए सरपंचो को शत-प्रतिशत घरों, दुकानों, कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों तथा नलकूपों पर झण्डा फहराने हेतु प्रेरित करना।

"हर घर तिरंगा" कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु कार्ययोजना

आज़ादी का अमृत महोत्सव

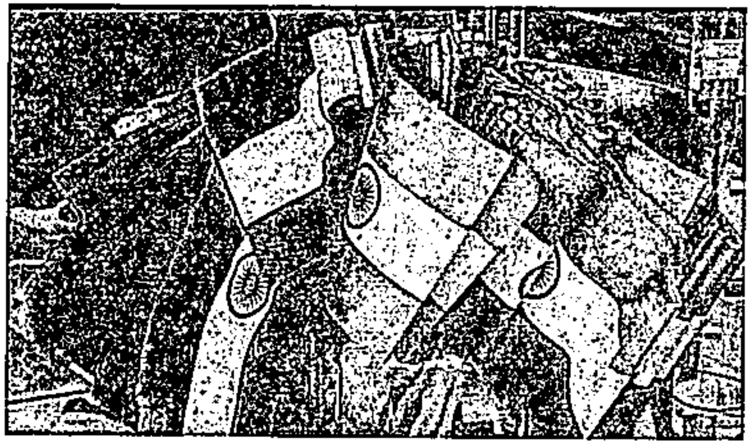

•जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में झण्डा के वितरण /बिक्री हेतु केन्द्रों को चिन्हित कर जिले की समस्त सरकारी राशन की दुकानों को भी झण्डा वितरण एवं बिक्री केन्द्र के रूप में प्रयोग करना।

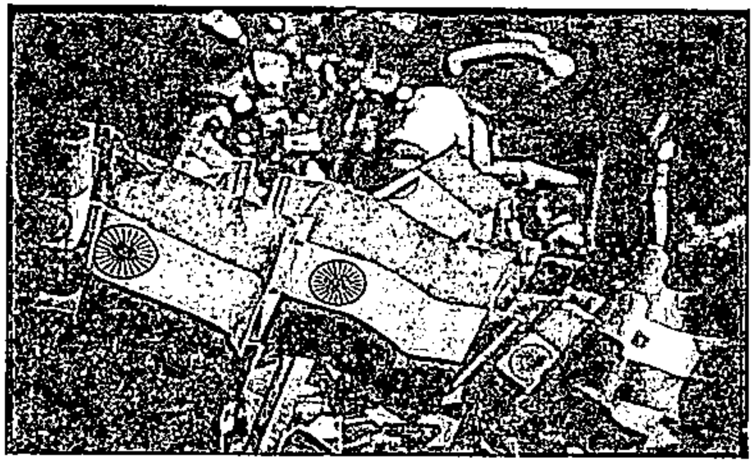

•झण्डों के निर्माण हेतु स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करते हुए "झण्डा निर्माण समूहो" का गठन किया जाना।

"हर घर तिरंगा" कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु कार्ययोजना

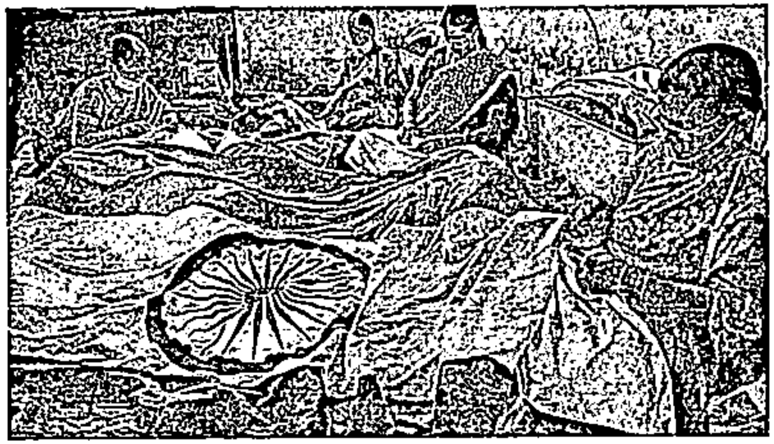

•कलेक्टरों द्वारा झण्डों के निर्माण हेतु स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय टेलर्स तथा आई०टी०आई० व अन्य वोकेशनल प्रशिक्षण केन्द्रों के दक्षकारों का चयन किया जाना।

•जिलों द्वारा लक्ष्यों के दृष्टिगत पर्याप्त संख्या में झण्डों का निर्माण सुनिश्चित करना।

•नगरीय एवं पंचायत स्तर पर लोगों को झण्डा क्रय करने एवं कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु प्रेरित करना।

"हर घर तिरंगा" कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु कार्ययोजना

आज़ादी का अमृत महोत्सव

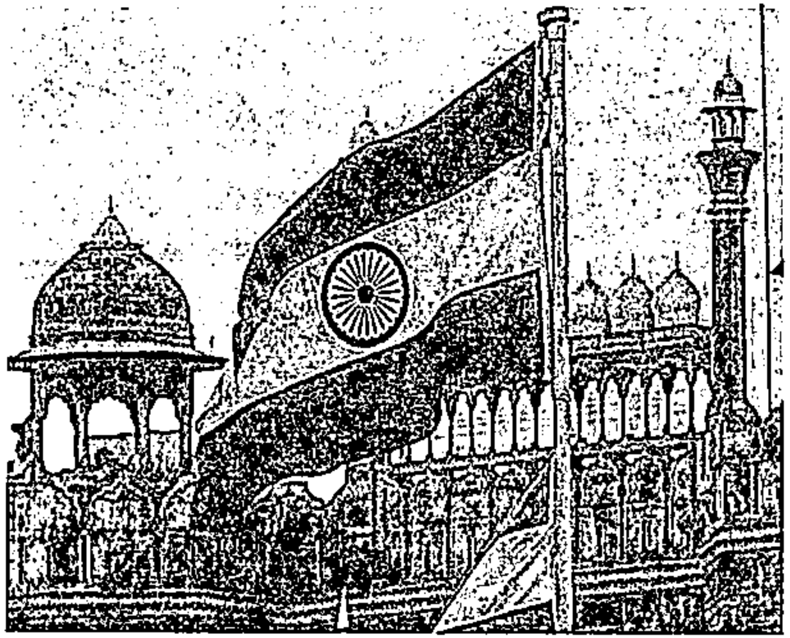

•जिले के समस्त सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों, व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों, रेस्टोरेंट, शॉपिंग काम्पलेक्स प्लाजा, पुलिस चौकी/थाना इत्यादि को इस कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से झण्डा फहराये जाने हेतु निर्देशित किया जाना।

"हर घर तिरंगा" कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु कार्ययोजना

आज़ादी का अमृत महोत्सव

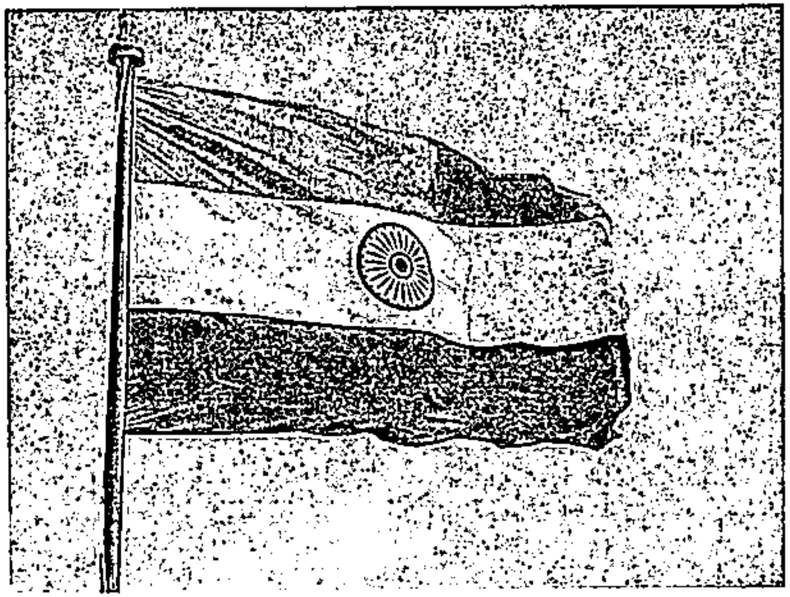

•बैनर, पम्पलेट, स्टैण्डी, होर्डिंग्स द्वारा स्थानीय भाषा एवं बोली में कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार परिवहन निगम की समस्त बसों, निजी बसों, ट्रकों एवं अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों तथा सरकारी वाहनों में "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम का संदेश स्टीकर अथवा अन्य माध्यम से लगाया जाना

"हर घर तिरंगा" कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु कार्ययोजना

आज़ादी का अमृत महोत्सव

•जिले के समस्त टोल प्लाजा, चेक प्वाइंटस इत्यादि पर बैनर, स्टैण्डी आदि लगाया जाना।

•जिले स्तर से पंचायत स्तर तक विभिन्न स्तरों पर नोडल अधिकारीगण के साथ पर्यवेक्षकों की भी तैनाती प्रत्येक विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायतों के स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा।

•सभी प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों में ''पैरेन्ट-टीचर मीटिंग'' के माध्यम से कार्यक्रम के संबंध में सभी को जानकारी दिया जाना।

"हर घर तिरंगा" कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु कार्ययोजना

आज़ादी का अमृत महोत्सव

•जिला जनसंपर्क अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएं कि योजना के सफल क्रियांवयन हेतु प्रेस विज्ञप्तियां, आलेख, होर्डिंग, पोस्टर्स, वाल-पेंटिग्स आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाना।

•ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत पर भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना।

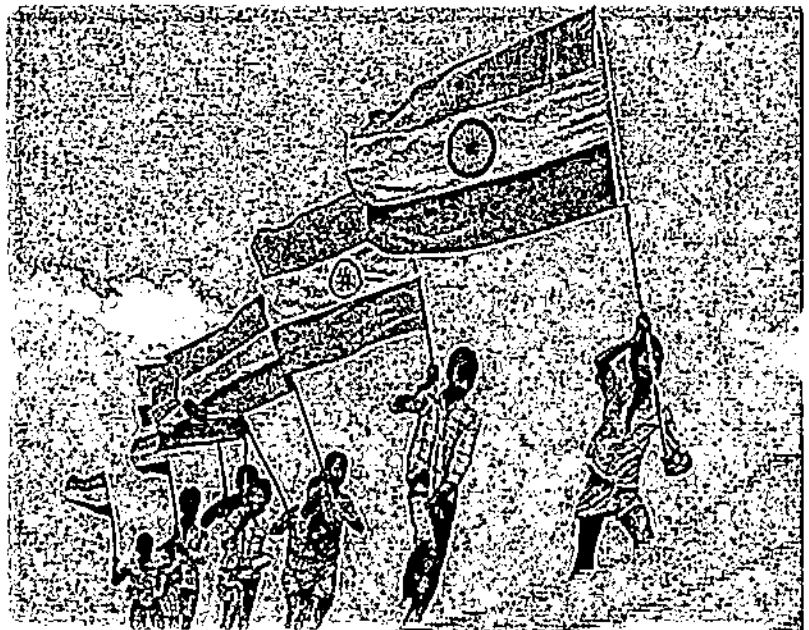

•शिक्षण संस्थानों में प्रार्थना के समय सभी विद्यार्थियों को ''हर घर तिरंगा" कार्यक्रम के विषय में जागरूक करते हुए शपथ ग्रहण कराया जाना।

"हर घर तिरंगा" कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु कार्ययोजना

आज़ादी का अमृत महोत्सव

•विकास खण्ड स्तर पर ए.एन.एम., आशा एवं आंगनवाडी कार्यकर्ताओं की बैठक कराकर अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में समस्त घरों में झण्डों को फहराने हेतु जन-जागरूकता उत्पन्न करने का अभियान चलाना।

•जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय (म.प्र. बोर्ड, आई.सी.एस.ई., सी.बी.एस.ई. आदि) को निर्देश जारी किये जायें कि सभी विद्यालयों में शिक्षकों-अभिभावकों की बैठक कराते हुए झण्डा फहराने हेतु प्रेरित करना।

•सभी कलेक्टरों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रशासन के सोशल मीडिया माध्यम यथा ट्विटर, फेसबुकक, इंस्टाग्राम, कू एवं जिला प्रशासन की वेबसाइटों आदि पर ''हर घर तिरंगा" कार्यक्रम का व्यापक प्रचार- प्रसार सुनिश्चित करना।

"हर घर तिरंगा" कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु कार्ययोजना

आज़ादी का अमृत महोत्सव

•ध्वज निशुल्क नहीं रहेगा, राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार कराते हुए अधिक से अधिक संख्या में ध्वज क्रय करने हेतु सभी नागरिकों को प्रेरित करना।

•मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत साप्ताहिक बैठक कर, ग्राम सचिव, पंचायती राज, ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय हेल्थ मिशन से जुड़े सभी कर्मियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के उत्पादन एवं वितरण की समीक्षा करना।

"हर घर तिरंगा" कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु कार्ययोजना

आज़ादी का अमृत महोत्सव

•जिले में लगने वाले साप्ताहिक हाट-बाजारों, पूर्व त्योहारों, मेलों के रूटों पर भी व्यापक प्रचार-प्रसार की सामग्री उपलब्ध कराया जाना।

•"तिरंगा वॉलिंटियर्स" के रूप में विद्यार्थियों, जनअभियान परिषद, एनसीसी कैडेट नेहरू युवा केंद्र के समन्वयक, एनएसएस, भारत स्काउट एंड गाइड आदि की सेवाये लेना।

•जन-जन जागरूकता हेतु समस्त विकास खंडों को जोड़ते हुए तिरंगा यात्रा, तिरंगा रिले रैली आयोजित कराया जाना।

•स्थानीय स्तर पर जिले के महत्वपूर्ण व्यक्तियों, गणमान्य नागरिकों की ओर से अपील कराया जाना।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु समस्त कलेक्टरों की अध्यक्षता में गठित समिति

कलेक्टर	अध्यक्ष
पुलिस अधिक्षक	उपाध्यक्ष
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य सचिव
विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
नगर निगम आयुक्त/प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत	सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, छावनी परिषद	सदस्य
मुख्य स्वास्थ्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
जिला जनसंपर्क अधिकारी	सदस्य
जिला समन्वयक, मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद	सदस्य
प्रमुख महाविद्यालयों के प्राचार्य	सदस्य

कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु समस्त कलेक्टरों की अध्यक्षता में गठित समिति

आज़ादी का अमृत महोत्सव

जिला युवा कल्याण अधिकारी	सदस्य
परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण	सदस्य
प्राचार्य, आई0टी0आई0	सदस्य
जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी	सदस्य
महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
जिला समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र	सदस्य
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
कार्यक्रम अधिकारी (एकीकृत बाल विकास योजना)	सदस्य
समन्वयक-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	सदस्य
एन0सी0सी0 के अधिकारी/एन0एस0एस0 के समन्वयक	सदस्य
जिलाधिकारी द्वारा नामित उद्योग मण्डलों/व्यापार मण्डलों के प्रतिनिधिगण	सदस्य

योजना का कार्यान्वयन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

•"हर घर तिरंगा" कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा संशोधित झण्डा संहिता के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करना।

•प्रत्येक झण्डा बनाने वाले स्वयं सहायता समूह एवं अन्य संस्थानों को झण्डे के आकार (20x30 inch) अथवा (10x15 inch) के बारे में स्पष्ट निर्देश जारी करना।

•नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि नागरिकों को झण्डा फहराने की विधि तथा अन्य जानकारियों से स्पष्ट रूप से अवगत कराना।

कार्यक्रम हेतु निर्धारित तिथि वार योजना

आज़ादी का अमृत महोत्सव

प्रमुख कार्य	निर्धारित कार्य
कार्ययोजना व रूपरेखा शासन को दिए जाने का लक्ष्य	7 जुलाई, 2022
जिलों मे विभिन्न स्तरों पर ''हर घर तिरंगा'' हेतु झण्डा की सिलाई आदि का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण किए जाने का लक्ष्य	10 जुलाई, 2022 के मध्य
समस्त प्रेरकों का प्रशिक्षण पूर्ण किए जाने का लक्ष्य	15 जुलाई 2022
जिले को दिये गये लक्ष्य के अनुरूप सभी झण्डों का निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने का लक्ष्य	1 अगस्त, 2022
जिले के समस्त घरों, दुकानों, कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी परिसरों में झण्डों की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किए जाने का लक्ष्य	5 अगस्त, 2022

झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश

आज़ादी का अमृत महोत्सव

- झण्डे का आकार आयताकार होना चाहिए।
- इसकी लंबाई एवं चौडाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि झण्डे की लंबाई 3 फीट हो तो चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए।
- झण्डा बनाने की सामग्री खादी अथवा हाथ से कता हुआ कपड़ा/ मशीन से बना हुआ कपड़ा/सूती/पॉलीस्टर/ऊनी/सिल्क आदि हो सकती है।
- झण्डे तीन रंगों से सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद तथा नीचे हरे रंग का प्रयोग कर बनाये जायेंगे।
- सफेद पट्टी में 24 तीलियों वाले अशोल चक्र को बाद में प्रिंट किया जाना चाहिए।

झण्डा फहराने के नियम

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

- प्रत्येक नागरिक को झण्डा संहिता का अनुपालन
- झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर
- झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरांत ध्वजारोहण किया जाना चाहिये तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए।
- दिनांक 11 से 17 अगस्त, 2022 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जायेगा।
- झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जायेगा। उसे सम्मान के साथ फोल्ड रखा जाना चाहिए।
- विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में फहराया जा सकता है।
- हर घर पर झण्डा विधिवत तरीके से लगाया जाना चाहिए।
- आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

धन्यवाद